INDIAN STREAMS RESEARCH JOURNAL
ISSN NO : 2230-7850
IMPACT FACTOR : 5.1651 (UIF)
VOLUME - 15 | ISSUE - 6 | JULY – 2025

छत्तीसगढ़ में केन्द्र प्रवर्तित कृषि योजनाएँः एक अध्ययन

हरीश कुमार
शोधार्थी , वाणिज्य विभाग, भारती विश्वविद्यालय दुर्ग.

डॉ. काजोल दत्ता
(सहायक प्राध्यापक)
शोध निर्देशक, वाणिज्य विभाग, भारती विश्वविद्यालय दुर्ग.

शोध सारांश

छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय प्रदेश में आवश्यक संरचनायें तथा बीज प्रक्रिया केन्द्र, किसान प्रशिक्षण केन्द्र, खाद एवं गोदाम आदि का अभाव था। इसलिए राज्य में विभिन्न फसलों की उत्पादकता, अन्य राज्यों की तुलना में कम थी। राज्य गठन के पश्चात् कृषि विकास के कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने तथा केन्द्र एवं राज्य सरकारों के कृषकोन्मुखी योजनाओं/ कार्यक्रमों के फलस्वरूप कृषि विकास की गति में आई तेजी एवं किसानों की आर्थिक उन्नति हेतु किये जा रहे निरंतर प्रभावी प्रयासो का अध्ययन करना उचित होगा। इसलिए छत्तीसगढ़ में केन्द्र प्रवर्तित कृषि योजनाओं का अध्ययन प्रासंगिक है। प्रस्तुत शोध का मुख्य उद्देश्य ''छत्तीसगढ़ में केन्द्र प्रवर्तित कृषि योजनाएँः एक अध्ययन'' का अध्ययन कर योजना की कमियों और विकास को रेखांकित कर उपयुक्त सुझाव प्रस्तुत करना है। प्रस्तुत अध्ययन छत्तीसगढ़ राज्य के विशेष संदर्भ पर आधारित है। इस शोध पत्र के उद्देश्य के प्राप्ति हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोतों का प्रयोग किया गया है।

शब्द कुंजी—कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पंचवर्षीय योजनाएँ, केन्द्रीय प्रवर्तित कृषि योजनाएँ,

प्रस्तावना

देश के विकास और प्रगति में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। देश का आर्थिक एवं सामाजिक ढांचा इसी पर टिका है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। यह न केवल देश की दो–तिहाई आबादी की रोजी–रोटी एवं आजीविका का प्रमुख साधन है बल्कि हमारी संस्कृति, सभ्यता और जीवनशैली का आईना भी है। देश में खेतीबाड़ी के साथ पशुपालन, बागवानी, मुर्गीपालन, मछलीपालन, वानिकी, रेशम कीटपालन, कुक्कुट पालन, व बत्तखपालन आमदनी बढ़ाने का एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है। देश की राष्ट्रीय आय का एक बड़ा हिस्सा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से ही प्राप्त होता है। आज भी देश की लगभग आधी श्रमशक्ति कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में लगी हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2018–19 में देश की आर्थिक वृद्धि दर 7 से 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। कृषि संबंधी आंकड़ों का अवलोकन करें तो कृषि विकास दर वर्ष 2016–17 में 4.9 प्रतिशत थी। वर्ष 2016–17 के आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का देश के सकल घरेलू उत्पाद में 17.8 प्रतिशत योगदान है। हमारे देश एवं प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है। कुल घरेलू उत्पाद में कृषि की भागीदारी में लगातार गिरावट निश्चित रूप से चिंता का विषय है। बढ़ती जनसंख्या, विकसित हो रहे कल–कारखाने, शहरी क्षेत्र का विकास आदि का प्रभाव एवं दबाव कृषि भूमि पर लगातार बढ़ रहा है। दिनों दिन

कृषि भूमि का क्षेत्र संकुचित एवं सिमटता जा रहा है। कृषि उत्पादन बढ़ाने की जिम्मेदारी बढ़ रही है और आगे और भी बढ़ेगी।

1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में व्यापक निर्धनता, व्यापक बेरोजगारी, कृषि की न्यून उत्पादकता, औद्योगिक विकास की समस्याओं का सामना करना पड़ा। भारत के समग्र आर्थिक एवं सामाजिक विकास की आवश्यकता तीव्रता से महसूस की गई। भारत के पास विश्व के कुल भू–भाग का 2.4 प्रतिशत ही है किन्तु उसे विश्व की कुल जनसंख्या का 16 प्रतिशत का पालन पोषण करना पड़ता है।

1901 में भारत की जनसंख्या 23.6 करोड़ थी जो 1951 में बढ़कर 36.1 करोड़ हो गई। बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना आवश्यक हो गया। देश की समृद्धि प्रत्यक्षतः कृषि तथा उद्योग के विकास पर निर्भर करती है। इस तथ्य को महसूस करते हुए प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को अधिक महत्व दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि योजना को प्राथमिकता देते हुए खाद्य सुरक्षा की अवधारणा को महत्वपूर्ण लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि के स्थान पर भारी तथा मूल उद्योगों को प्रोत्साहित करने के परिणामस्वरूप पुनः खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हो गई। अतः तृतीय एवं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कृषि को फिर प्राथमिकता प्रदान की गई जिससे देश कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सका। इसके पश्चात् पांचवीं पंचवर्षीय योजना में मुख्यतः गरीबी उन्मलन, छठवीं में अधिकाधिक रोजगार सृजन और निर्धन व्यक्तियों के जीवन में सुधार, सातवीं में गरीबी कम करने, उत्पादकता बढ़ाने व रोजगार के अवसर में वृद्धि करने को प्राथमिकत दी गई। इसी प्रकार आठवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार सृजन, खाद्य पदार्थों में आत्मनिर्भरता, नौवी में ग्रामीण विकास, दसवीं योजना में निर्धनता अनुपात में कमी, साक्षरता, पेयजल आदि लक्ष्यों का निर्धारण किया गया। ग्यारहवीं योजना में स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन तथा बुनियादी ढांचे का विकास करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस प्रकार सभी पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि एवं खाद्यान्न को एक स्थान एवं महत्व दिया गया और ये आवश्यक भी है क्योंकि भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में अनाज की पर्याप्तता अति आवश्यक है।

वर्तमान सरकार द्वारा कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए नीति निर्माण सहित अन्य कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। देशव्यापी तौर पर कृषि क्षेत्र में प्रगति एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए इनका प्रभावी तौर पर क्रियान्वयन किया जा रहा है।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन में सर्वेक्षणात्मक शोध विधि का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन सविचार निदर्शन विधि से किया गया है। अध्ययन में स्तरीकृत दैव निदर्शन विधि द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के कृषि क्षेत्र का चयन किया गया है। प्रस्तुत शोध में प्राथमिक डाटा का प्रयोग गया है तथा आवश्यकतानुसार द्वितीयक स्त्रोतों से भी जानकारी संकलित की गई है।

शोध साहित्यों का पुनरावलोकन

- **सतीश (2005)** ने पाया कि कृषि ऋण उधारकर्ताओं के दो वर्ग थे। एक वर्ग जिसके पास छोटी जोत, कम पूंजी उपकरण और आर्थिक समृद्धि के निचले पायदान पर था। सहकारी उधारकर्ता वर्ग में मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसान थे। दूसरा वर्ग जो उभरा वह मूलतः पूंजीवादी किसान था जिसने व्यावसायिक आधार पर खेती की । यह वर्ग अधिक परिष्कृत था। जिसके पास बड़ी भूमि जोत और अधिक मात्रा में पूंजीगत उपकरण थे। परिणामों से पता चलता है कि दो प्रकार के ग्राहकों के लिए ऋण वितरण के लिए दृष्टिकोण और प्रणाली अलग–अलग होनी चाहिए।
- **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय**– भारत हमें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय अपनी वेबसाईट पर किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी प्रदान करता है। केसीसी एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी कृषि आवश्यकताओं के लिए किफायती दर और समय पर ऋण प्रदान करता है। कार्ड लचीले ऋण विकल्प प्रदान करता है जिसमें खेती, संबद्ध गतिविधियों और फसल उत्पादन से संबंधित खर्चों के लिए कार्यशील पूंजी शामिल है।

- **रंजन, पी. और श्रीवास्तव, पी. (2020)** यह अध्ययन छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों के वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण पर किसान क्रेडिट कार्ड योजना के प्रभाव का मूल्यांकन करता है। अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि केसीसी योजना से छत्तीसगढ़ के किसानों के वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

शोध का उद्देश्य

» राज्य की कृषि प्रणाली को सुगम बनाने के लिए केन्द्र प्रवर्तित कृषि योजनाओं के योगदान का अध्ययन करना।
» वर्तमान में संचालित केन्द्र की कृषि योजनाओं का भविष्य की सार्थकता का अध्ययन करना।
» केन्द्र प्रवर्तित कृषि योजनाओं का स्थानीय किसानों तक सुलभ पहुँच का अध्ययन करना।
» केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में हुए नवाचारों का अध्ययन करना।

केन्द्र सरकार की कृषि प्राथमिकताएँ–

- जलवायु परिवर्तन की चुनौतियाँ– वैज्ञानिकों द्वारा किए गए संशोधनों के माध्यम से प्रगतिशील किसानों द्वारा किए गए प्रयोगों द्वारा बदलते हुए जलवायु परिवर्तनों की चुनौतियों का सामना करने के लिए विशेष प्रयास।
- बूंद–बूंद से ज्यादा उपज– 'हर बूंद से ज्यादा उपज' कैसे ली जाए, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनुसंधान कार्यकलापों पर जोर।
- लैब टू लैण्ड– इस कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाते हुए कृषि तकनीकों को खेतों तक पहुँचाने के लिए सार्थक प्रयास। किसानों और युवाओं को प्रमुखता।
- दलहन–तिलहन उत्पादकता बढ़ाने की जरूरत– दलहन और तिलहन की उत्पादकता बढ़ाने की दिशा में विशेष प्रयास किए जाएंगे ताकि निर्धन आबादी को प्रोटिन सुलभ हो।
- कम समय में फसल– कम समय में फसलें तैयार करने वाली वैज्ञानिक पद्धतियों के विकास पर बल। नई किस्मों का विकास।
- पशु उत्पादकता में कृषि– देशी पशुओं से अधिक उत्पादकता हासिल करने के लिए कृषि वैज्ञानिकों के कार्यों को किसानों तक पहुंचाने की दिशा में कदम। देशी गोपशुओं का संरक्षण।
- नीली क्रांति– देश की सामुद्रिक संपत्ति एवं मत्स्य संपदा के क्षेत्र में अधिक विकास किए जाएंगे ताकि नीली क्रांति के सपने को साकार किया जा सके। औषधीय समुद्री खरपतवारों की खेती पर बल।
- कृषि रेडियो– कृषि कॉलेजों के अपने रेडियो स्टेशन विकसित कर छात्रों को काम दिया जाए जिससे वे अनुसंधान करें और रेडियो पर वार्ता तथा अनुभव प्रस्तुत करें।
- कृषि अनुसंधानों का डिजीटल रूपांतरण– सभी कृषि विश्वविद्यालयों में अब तक जितने भी अनुसंधान हुए हैं, उन सबका डिजीटल रूपांतरण करके एक जगह इकट्ठा करने की पहल।
- हिमालय क्षेत्र के औषधीय पौधों का समुचित उपयोग– इन औषधीय पौधों के अधिकतम प्रयोग के लिए दवा उद्योग, फार्मास्यूटिकल विभागों, कृषि विभागों एवं अनुसंधान संस्थानों के बीच बेहतर समन्वयन को बढ़ावा।
- कृषकों के टैलेंट पूल का विकास– प्रत्येक कृषि विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थानों द्वारा स्थानीय स्तर पर प्रगतिशील कृषकों के टेलेंट पूल के विकास को प्रोत्साहन ताकि ग्राम स्तर पर प्रौद्योगिकियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
- कुशल मानव संसाधन का विकास– कृषि शिक्षा को उन्नत तथा व्यावहारिक बनाकर छात्रों में कौशल का विकास और उन्हें गांवों व किसानों के साथ जोड़ना ताकि छात्रों में व्यावहारिक कुशलता के विकास से किसानों को भी उनके ज्ञान का लाभ मिल सके।

- भूमि सुधार– फसलों की उपज बढ़ाने के प्रयासों के साथ उनकी गुणवत्ता बढ़ाने पर भी जोर ताकि खाद्य सुरक्षा के साथ पोषण सुरक्षा को भी अधिक मजबूत बनाया जा सके। उपज बढ़ने के साथ गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना को न्यूनतम रखा जाए।

केन्द्र प्रवर्तित कार्यक्रम एवं योजनाएँ –

1. नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन टेक्नोलॉजी (NMAET)

1.1 सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (SMAE)– एक्सटेंशन रिफॉर्म्स (आत्मा)

योजना का उद्देश्य–

» कृषि एवं समवर्गी क्षेत्र उद्यानिकी, पशुपालन, वानिकी, रेशमपालन, सहकारिता विभाग, कृषि विश्वविद्यालय एवं स्वयंसेवी संस्था, एग्रीक्लीनिक, एग्रीबिजनेस सेंटर, कार्पोरेट्स एवं इनपुट डीलर्स इत्यादि की सहभागिता एवं समन्वय द्वारा कृषकों का समग्र विकास करना।

1.2 सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल (SMSP)– के अंतर्गत बीज ग्राम योजना

योजना का उद्देश्य–

» कृषकों को उच्च गुणवत्तायुक्त आधार/प्रमाणित बीज वितरण करना और कृषक को अनाज कोठी हेतु सहायता देना।

1.3 सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन (SMAM) योजनांतर्गत कृषि यंत्रों का वितरण

योजना का उद्देश्य–

» फार्म पावर उपलब्धता में वृद्धि तथा कृषि कार्य में लगने वाली लागत को कम करने एवं फसल उत्पादन, उत्पादकता में वृद्धि करना।

2. नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (NMSA)

2.1 रेनफेड एरिया डेव्हलपमेंट योजना (RAD)

योजना का उद्देश्य–

» वर्षा आधारित क्षेत्रों में कृषकों को समन्वित कृषि प्रणाली के माध्यम से जोखिम कम कर आजीविका साधन उपलब्ध कराना।

» वर्षा आधारित क्षेत्रों में एकीकृत फसल पद्धति के माध्यम से कृषि को उत्पादकतावर्धक, टिकाऊ, लाभकारी एवं जलवायु के अनुकूल बनाना है।

2.2 मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना (Soil Health Management Scheme)

योजना का उद्देश्य–

» राज्य के समस्त कृषकों को 2 वर्षों में एक बार ''स्वायल हेल्थ कार्ड'' उपलब्ध कराकर संतुलित एवं समन्वित उर्वरक उपयोग हेतु प्रोत्साहित करना।

» मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण एवं नवीन प्रयोगशालाओं की स्थापना।

» विकासखण्ड स्तर पर मृदा उर्वरता मानचित्र एवं उर्वरक अनुशंसा तैयार करना।

» पोषक तत्व प्रबंधन में मैदानी अम्लें/प्रगतिशील कृषकों का क्षमता विकास।

2.3 परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)

योजना का उद्देश्य

» प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित कर बाहरी इनपुट पर किसानों की निर्भरता को कम करने के लिए मिट्टी की उर्वरता का रख–रखाव और संवर्धन करना।

» सतत् रसायन मुक्त और पौष्टिक खाद्य पदार्थ उत्पन्न करना।

3. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)

3.1 प्रत्येक बूंद से अधिक फसल (पर ड्रॉप मोर क्रॉप) (Micro Irrigation)

योजना का उद्देश्य

» सिंचाई दक्षता में वृद्धि

3.2 एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन (IWMP)

योजना का उद्देश्य

» जलग्रहण अपवाह क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण का प्रभावी प्रबंधन

4. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

योजना का उद्देश्य

» कृषि एवं समवर्ती क्षेत्र में प्रतिस्थापन दर में वृद्धि करना, सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देना।
» स्थानीय जरूरतों/फसलों के अनुकूल योजनाएँ तैयार करना।
» कृषि समवर्गी क्षेत्र में किसानों की आय अधिकतम करना।
» उपज अंतर को कम करना तथा उत्पादन व उत्पादकता को बढ़ाना।

5. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

योजना का उद्देश्य

» प्रदेश में धान, दलहन, मोटे अनाज, न्यूट्री सिरियल्स तथा तिलहन के क्षेत्र में उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना।

6. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

योजना का उद्देश्य

» प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के कारण किसी भी अधिसूचित फसल के नष्ट होने की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना जिससे किसानों की आय स्थिर हो और वे आधुनिक कृषि प्रणालियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित हो सकें।
» कृषि क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना।

❋ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत क्षतिपूर्ति की पात्रता के मापदण्ड

☑ बाधित/बोआई/रोपण/अंकुरण नहीं हो पाने से होने वाली नुकसान से सुरक्षा प्रदान करेगा।
☑ स्थानीयकृत आपदाओं के अंतर्गत होने वाली क्षति की स्थिति में।
☑ फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए फेलाकर रखी हुई (करपा) फसल में नुकसान होने की स्थिति में।
☑ फसल पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति की स्थिति में।

7. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

योजना का उद्देश्य

» देश के किसान परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
» कृषकों को कृषि कार्य अपनाने एवं उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित करना।

8. किसान क्रेडिट कार्ड योजना

योजना का उद्देश्य

- किसानों को उनकी उत्पादन ऋण आवश्यकताओं (खेती के खर्च) को पूरा करने के लिए समय पर और पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराना।
- एक सरल प्रक्रिया के माध्यम से आकस्मिक व्यय और सहायक गतिविधियों से संबंधित खर्चों को पूरा करना जिससे उधारकर्ताओं को आवश्यकता पड़ने पर ऋण प्राप्त करने में सुविधा हो।
- इस योजना का उद्देश्य किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि कृषि इनपुट के लिए ऋण सुविधा को बढ़ावा देना तथा उनकी उत्पादन आवश्यकताओं के लिए धन तक उनकी पहुँच में सहायता करना है।

आंकड़ों का विश्लेषण

1. **परम्परागत कृषि योजना**–राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2016 से केन्द्र प्रवर्तित परंपरागत कृषि विकास योजना संचालित है। परंपरागत कृषि विकास योजना फसल प्रदर्शन आयोजन का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है–

क्र.	वर्ष	योजना के अंतर्गत फसल प्रदर्शन का क्षेत्रफल
1.	2019–20	50,000 एकड़
2.	2020–21	50,000 एकड़
3.	2021–22	52.500 एकड़
4.	2022–23	1000 हेक्टेयर
5	2023–24	31500 हेक्टेयर

स्त्रोतः–अध्याय 7 कृषि एवं संबद्ध सेवायें, आर्थिक सर्वेक्षण 2023–24, छ.ग. शासन आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, रायपुर

2. **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना**– वर्षा जल संग्रहण, संचयन, सिंचाई स्त्रोतों के विकास, भू–जलवर्धन तथा उपलब्ध जल के दक्षतापूर्ण उपयोग हेतु वर्ष 2015–16 से संचालित इस योजना के अंतर्गत 25,94,284 हेक्टेयर अतिरिक्त रकबा सिंचित किया जाना प्रस्तावित है। विभिन्न घटकों के अंतर्गत वर्षवार कार्यों का विवरण निम्नानुसार है–

योजना का नाम	इकाई	भौतिक लक्ष्य		भौतिक पूर्ति		सिंचित क्षेत्र	
		2022–23	2023–24	2022–23	2023–24	2022–23	2023–24
प्रत्येक बूंद से अधिक फसल	हेक्टेयर	40000	–	23885.35	–	23885.47	–
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	संख्या	8814	10686	5463	3147	2673	3539

स्त्रोतः–अध्याय 7 कृषि एवं संबद्ध सेवायें, आर्थिक सर्वेक्षण 2023–24, छ.ग. शासन आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, रायपुर

3. रेनफेड एरिया डेव्हलपमेंट–छत्तीसगढ़ राज्य में इस योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2014–15 से किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत राज्य में किये गये कार्यों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है–

क्र.	वर्ष	भौतिक पूर्ति (हे.)	व्यय राशि (लाख में)
1.	2022–23	1377.50	434.18
2.	2023–24	2271.00	192.03

स्त्रोतः–अध्याय 7 कृषि एवं संबद्ध सेवायें, आर्थिक सर्वेक्षण 2023–24, छ.ग. शासन आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, रायपुर

4. प्रदेश में कृषकों के फसलों के बीमा हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2016 से संचालित की गई जिसकी प्रगति निम्नानुसार है–

क्र.	**वर्ष**	**मौसम**	**ऋणी कृषक**	**अऋणी कृषक**	**योग**
1.	2022–23	खरीफ	1324265	88960	1413225
		रबी	222721	67515	290236
2.	2023	खरीफ	6513856	284732	6798588

स्त्रोतः–अध्याय 7 कृषि एवं संबद्ध सेवायें, आर्थिक सर्वेक्षण 2023–24, छ.ग. शासन आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, रायपुर

निष्कर्ष–

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने लिए कृषि की विविधीकरण बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए यह महती आवश्यक है कि कृषि का एक व्यावसायिक मॉडल की तरह सरकारी तौर पर पेश किया जाए। किसानों को इस बारे में आश्वस्त करने की जरूरत है कि कृषि भी एक व्यवसाय है और इसमें आर्थिक लाभ की असीम संभावनाएँ हैं। इसके लिए जहाँ निचले स्तर पर किसानों को व्यावसायिक खेती हेतु सुविधाएँ उपलब्ध कराने एवं प्रोत्साहित करने की जरूरत है वहीं सरकार द्वारा सिंचाई, प्रशिक्षण, संसाधन उपलब्धता, शोध अनुसंधान में मदद से ही खेती को फायदेमंद बनाया जा सकता है।

संदर्भ सूचीः–

1. Satish, P. (2005) "Agricultrue Credit: are there two distinct Classes of Borrowers?" Indian Journal of Agricultural Economics, Vol. 60 No. 3, pp. 309-318.
2. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालयः– किसान क्रेडिट कार्ड https://www.agricoop.nic.in/visiontype/kisan-credit-card-scheme
3. रंजन, पी. और श्रीवास्तव, पी. (2020) छत्तीसगढ़ में किसानों के वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण पर किसान क्रेडिट कार्ड योजना के प्रभाव का मूल्यांकन। पेसिफिक बिजनेस रिव्यू इंटरनेशनल, 13(9) पृष्ठ क्र. 137–145
4. Kumar, A. & Gupta, A. (2020) Government Initiatives for Enhancing Agriculture Infrastructure in India: A Review. Agriculture Economics Research Review, 33(2)
5. Chakrabarti, M., & Singh, R. K. (2017), Government Agriculture Schemes in India: A Review of Women's Participation, Journal of Gender Studies, 26(5)
6. Prakash, R. & Singh, M. (2028) A Review of Crop Insurance Schemes in India: Challenges and Recommendations. Journal of Agriculture Economics, 69(3)
7. सी. आर. कोठारी, रिसर्च मेथडोलॉजी, न्यू एज इंटरनेशलन पब्लिकेशन
8. एस. एम. शुक्ला, प्रिंसिपल ऑफ स्टेटिक्स, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा
9. डॉ. जयप्रकाश शुक्ला, कृषि अर्थव्यवस्था, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा
10. कृष्ण कुमार उमड़िया, कृषि विकास की समस्या, मित्तल पब्लिकेशन, नई दिल्ली

11. कृषि दर्शिका 2023 निदेशालय विस्तार सेवायें इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग) 492012 पृष्ठ क्र. 160–162
12. कुरूक्षेत्र अंक 8, जून 2021 पृष्ठ क्र. 12–13
13. पाण्डेय, डॉ. अरूण कुमार प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, सेठ आर.सी.एस. महाविद्यालय दुर्ग (छ.ग.) रिसर्च जर्नल ह्यूमिनीटीज एण्ड सोशन साईंसेज 2013: 4(1) 27–31
14. एस. पी. सिंह, ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं और प्रबन्ध, संस्करण– 2003
15. दत्ता एवं सुन्दरम् भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्करण 2009
16. पन्त डी.सी., भारत में ग्रामीण विकास, संस्करण– 2015
17. कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, नए कदम बढते कदम, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली पृष्ठ क्र. 6–7
18. आर्थिक सर्वेक्षण, 2023–24 आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छ.ग. शासन नवा रायपुर छ.ग.